518/2018

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
20.9.22 दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस गत पेशी पर सुनी गई थी। वकील प्रार्थी की बहस थी कि ग्राम-पताऊ कलां तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 90, 110, 155 कुल रकबा 210-15 बीघा व खसरा नम्बर 167 रकबा 103-07 बीघा शामिल खातेदारी में अवस्थित है, उपरोक्त खातेदान में प्रार्थी का कुल रकबा 56-02-06 बीघा हिस्से में आता है। प्रार्थी का अपना हिस्से में आने वाली शामिल का कब्जा खसरा नम्बर 167 परिशिष्ट में अनुसार है और मौके पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, दुकान इत्यादि बनी हुई है लेकिन विवादित भूमि के नक्शा खातेदान में प्रार्थी का नाम जब-खातेदारी में इन्द्राज है, परन्तु प्रार्थी का खसरा नम्बर 167 में ही अपने हिस्सेनुसार कब्जा कायम ही है और प्रार्थी शेष खसरा [illegible] को हक हकूक नहीं [illegible] इस कारण प्रार्थी / वादी द्वारा विवादित भूमि में खसरा नम्बर 167	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:13:27 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

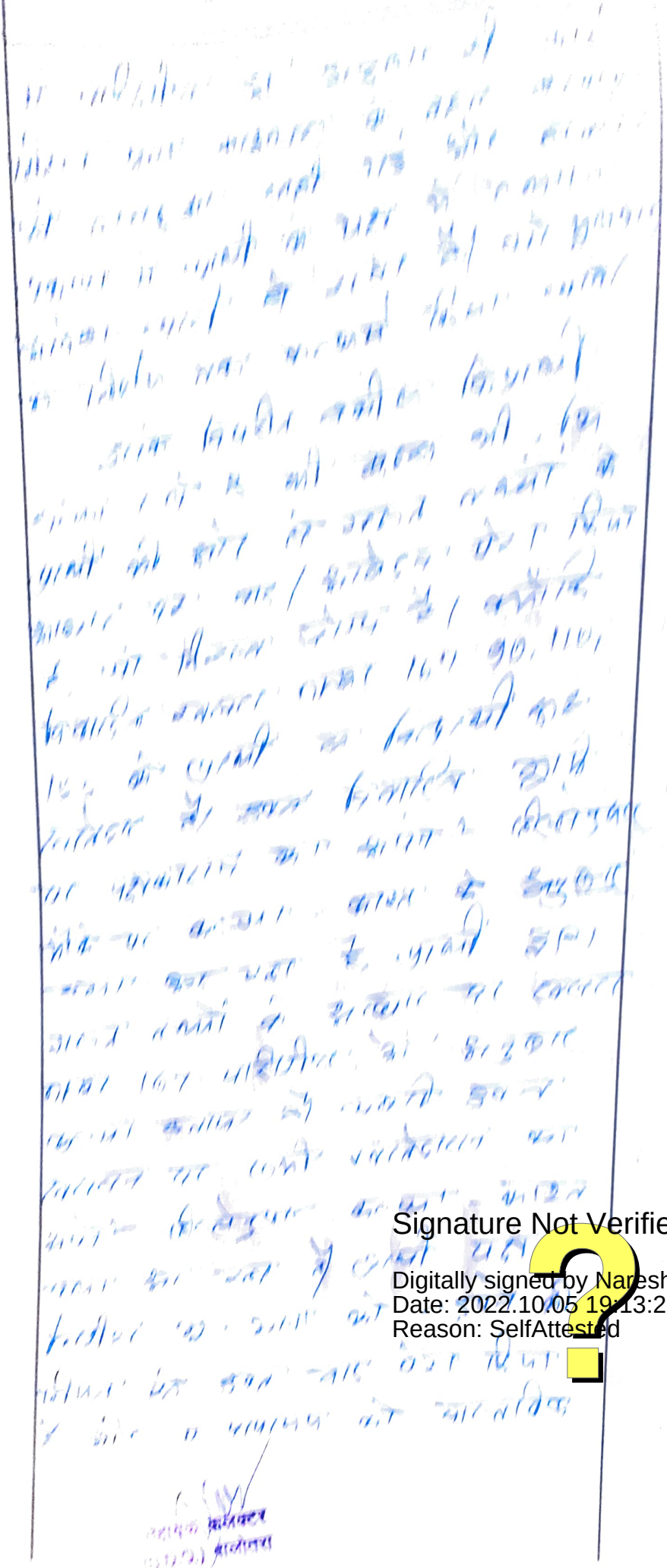

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:13:27 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] [illegible] [illegible] किया। [illegible] की [illegible] [illegible] में [illegible] नियमों की [illegible] [illegible] है। [illegible] के उपरान्त [illegible] 110 में [illegible] खसरा नम्बर 90 व [illegible] के तहत [illegible] कृषि [illegible] [illegible] में प्रार्थी द्वारा [illegible] [illegible] प्राप्त किया है, जो [illegible] [illegible] इसका [illegible] करता है, कि इसका [illegible] नहीं है। इसके [illegible] में [illegible] नहीं [illegible] है कि प्रार्थी का [illegible] में [illegible] है, न कि [illegible] खसरा नम्बर 167 में। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर जारी करवाया गया [illegible] आदेश [illegible] निरस्त कर [illegible] पत्र को खारिज किया जावे। इन दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर [illegible] [illegible] पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रेकर्ड व सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:13:27 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। देखने पाया कि प्रार्थी/वादी द्वारा ग्राम [illegible] कलाँ की खसरा नम्बर 167 परिशिष्ट 'अ' अनुसार किता 52-02-06 बीघा भूमि वादी की खातेदारी घोषित कर बाद बाई मिलान वाद [illegible] बटवारा करने की हुक्म इस्तदुआ चाही गई है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा, कि प्रार्थी इस खसरात में परिशिष्ट 'अ' अनुसार भूमि प्राप्त करने का हकदार है अथवा नहीं। लेकिन रेकर्ड के अनुसार करने से स्पष्ट है कि खसरात संख्या 90, 110, 155 व 167 भूमि प्रार्थी व विपक्षी की सहखातेदारी में दर्ज है, जो प्रार्थी स्वयं स्वीकार भी कर रहा है, तो इस खसरात 167 में परिशिष्ट 'अ' अनुसार विशिष्ट हिस्सा भाग पर स्थगन आदेश जारी रखवाने का हकदार नहीं है, क्योंकि विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature N
Digitally signed
Date: 2022.10.0
Reason: SelfAt

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

ऐसी हालत में प्रकरण चलने लायक प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है, एवं प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि खातेदार संख्या 90 व 110 में कायमशुदा परिवादगण को तहत जेरकाश्त जमीन में अपने हिस्सानुसार मुकाबला प्राप्त होलिया है, जो तजवीज काश्तकार से स्पष्ट है। यानि बतौर प्रार्थी आवेदन पत्र में अंकित करता है कि खसरा संख्या 90, 110, 155 में प्रार्थी के हिस्से वाली जमीन का कब्जा संयुक्त नहीं जमीन का कब्जा 167 जमीन में है और इसकी रकम एवं प्रार्थी विवादित खसरा नम्बर 90 व 110 में मुकाबला प्राप्त कर रहा है. यह अपने आप में विरोधाभासी है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः तक अपूरणीय क्षति का बिन्दु है यह भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है, क्योंकि खातेदार संख्या 167 परिशिष्ट अ खसरा विशेष के आधार पर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:13:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करना उचित है, जबकि प्रार्थी इकरार की नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 18.7.2018 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh S
Date: 2022.10.05 19:13:27 I
Reason: SelfAttested